

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(बजट अनुभाग)

क्रमांक प.3(1)वित्त-1(1)आ.व्य./2004 पार्ट I

दिनांक : 02 अप्रैल, 2020

समस्त विभागाध्यक्ष
(जिला कलक्टर सहित)

विषय:- कोविड-19 महामारी के परिदृश्य में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आर्थिक सहायता।

संदर्भ :- विभागीय पत्रांक प.3 (1) वित्त-1(1) आ.व्य./2004 /पार्ट-1 दिनांक 27.03.2020


महोदय,

इस विभाग के सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों के माह मार्च, 2020 देय अप्रैल, 2020 के मूल वेतन से कटौति किये जाने हेतु जारी किये गये निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

अधिकारी/कर्मचारी सेवा अनुरूप वर्गीकरण	वेतन कटौति के लिए दिवस की संख्या
राजस्थान अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारी (राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के अन्तर्गत पे-लेवल 1 से 9 में वेतन आहरित कर रहे कर्मचारियों को छोड़कर)।	3 दिवस
राजस्थान अधीनस्थ सेवाओं के राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के अन्तर्गत पे-लेवल 5 से 9 में वेतन आहरित कर रहे अधिकारी/कर्मचारी एवं समस्त मंत्रालयिक सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारी तथा वर्कचाजर्ड कर्मचारी (पे-लेवल 1 से 4 को छोड़कर)।	2 दिवस
समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के अन्तर्गत पे-लेवल 1 से 4 तक में वेतन आहरित कर रहे समस्त कर्मचारी मय वर्कचाजर्ड।	1 दिवस

शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

www.rajteachers.com

भवदीय,

(हिमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

(कृ.प.उ.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजि सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता तथा शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. उप शासन सचिव, राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।